

ई-मेल

प्रेषक,

गिरीश चन्द्र मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

संयुक्त निदेशक,
राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग,
लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 07 अगस्त, 2025

विषय:- भूमि अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा-11(1) के अन्तर्गत जिला कलेक्टर/समुचित सरकार, गाजियाबाद द्वारा निर्गत अधिसूचना को गजट में प्रकाशित कराये जाने सम्बन्धी।

महोदय,

कृपया विषयांकित प्रकरण में जिला कलेक्टर/समुचित सरकार, गाजियाबाद के पत्रांक-551/आठ-अ0जि0अ0(भू0अ0)/इन्टी0टाउ0-0.0130/गा.बाद दिनांक 08.07.2025 एवं पत्रांक-552/आठ-अ0जि0अ0(भू0अ0)/इन्टी0टाउ0-1.3050/गा.बाद दिनांक 08.07.2025 (अनुलग्नकों सहित प्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें। उक्त पत्रों के माध्यम से जिलाधिकारी, गाजियाबाद द्वारा गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के माध्यम से इन्टीग्रेटेड टाउनशिप परियोजना हेतु विभिन्न ग्रामों की भूमि के अर्जन हेतु भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम-2013 की धारा-11(1) के अन्तर्गत निर्गत अधिसूचनाओं को असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) में प्रकाशित कराये जाने का अनुरोध किया गया है। निर्गत अधिसूचनाओं की हिन्दी व अंग्रेजी प्रति भी संलग्नकर उपलब्ध करायी गयी है। उक्त अधिसूचनाओं का संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है :-

क्र.सं.	ग्राम	भूमि का क्षेत्रफल	अधिसूचना दिनांक
1	महरौली	0.0130	27.06.2025
2	महरौली	1.3050	27.06.2025

2- इस संबंध में निर्गत अधिसूचनाओं की हिन्दी व अंग्रेजी मूल प्रति संलग्नकर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया भूमि अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा-11(1) के अन्तर्गत निर्गत उक्त अधिसूचनाओं को असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) में शीघ्र प्रकाशित कराते हुए कृत कार्यवाही से शासन एवं सर्व संबंधित को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोक्त

भवदीय,

Digitally signed by
(गिरीश चन्द्र मिश्र) MISHRA
संयुक्त सचिव
10:30:31

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. आयुक्त, मेरठ मण्डल मेरठ।
2. जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
3. निदेशक, भूमि अध्याप्ति निदेशालय, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
4. उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।

आज्ञा से,
गिरीश चन्द्र मिश्र
संयुक्त सचिव